



सत्यमेव जयते

## राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)  
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

सिटिंग नोटिस

फा. सं.: NCST/SER-2336/MTUR/1/2025-RU-II

दिनांक: ०५.06.2026

महानिदेशक,  
भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार,  
जनपथ, नई दिल्ली-110001।  
ई-मेल: sanjayrastogi115@nic.in

विषय: आरक्षित रिक्ति होने के बावजूद, अभिलेखागार के सहायक निदेशक के पद पर पदोन्नति हेतु किसी ST उम्मीदवार पर विचार न किए जाने के संबंध में सुश्री संजुक्ता तालुकदार, क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, विदेश भवन, C-45, G ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई, महाराष्ट्र - 400051 का दिनांक 16.05.2025 का अभ्यावेदन।

संदर्भ 1: आयोग का समसंख्यक पत्र दिनांक 04.07.2025 एवं 10.11.2025 (प्रति संलग्न).

महोदय/महोदया,

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एन.सी.एस.टी.) ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरण का अन्वेषण करने का निश्चय किया है। श्री अंतर सिंह आर्य, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण में अन्वेषण/जांच/की जाने वाली कार्रवाई के लिए आयोग मुख्यालय, 6वां तल, न्यायालय कक्ष-1, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली-110003 में दिनांक 17.06.2026 को सिटिंग/सुनवाई निर्धारित की है।

2. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से माननीय अध्यक्ष के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होने के लिए निर्देशित करें।

3. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होते/होती है तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के खंड (8) क के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है।

(पूर्णेन्दु कान्त/Purnendu Kant)  
निदेशक/Director

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

सुश्री संजुक्ता तालुकदार,  
क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय,  
विदेश भवन, C-45, G ब्लॉक,  
बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व),  
मुंबई, महाराष्ट्र - 400051  
कृपया उपरोक्त स्थान, समय एवं तिथि पर सुनवाई हेतु आयोग में  
आपकी/अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें।